वार्षिक प्रतिवेदन

(वर्ष 2004 एवं 2005)

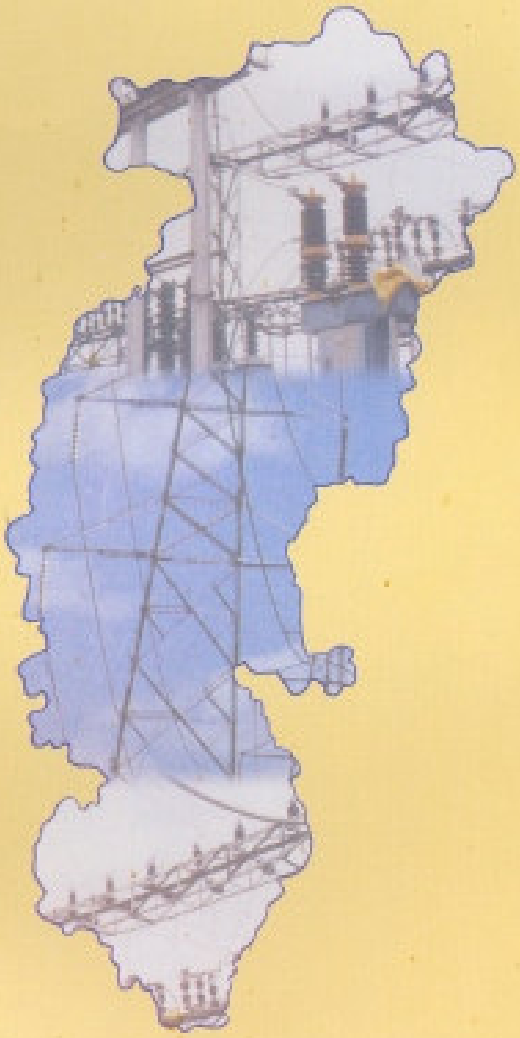

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिविल लाइन, जी. ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग वार्षिक प्रतिवेदन
[वर्ष 2004 (जुलाई से दिसम्बर) एवं 2005]

विषय–सूची

		पृष्ठ क्र.
1. प्रस्तावना	:	1 – 4
2. मानव संसाधन एवं उनका विकास	:	5 – 9
3. आयोग के कृत्य, कार्यवाहियां, शक्तियां एवं उसकी कार्य प्रणाली	:	10–15
4. राज्य सलाहकार समिति – गठन तथा इसके उद्देश्य	:	16–18
5. आयोग द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों का विवरण [वर्ष 2004 (जुलाई से दिसम्बर) एवं 2005]	:	19–27
6. आयोग द्वारा वर्ष 2004 (जुलाई से दिसम्बर) एवं 2005 में किये गये अन्य कार्य	:	28–28
7. आयोग का लेखा विवरण	:	29–32

खण्ड–1

प्रस्तावना

1.1 विद्युत नियामक आयोग की स्थापना एवं विद्युत क्षेत्र में सुधार प्रकिया की पृष्ठभूमि

विद्युत उद्योग ऐसा आधारभूत उद्योग है जिसके विकास पर देश की सर्वतोन्मुखी प्रगति निर्भर है । देश की स्वतंत्रता के समय विद्युत उत्पादन एवं वितरण का कार्य भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के प्रावधानों के तहत किया जाता था । इस अधिनियम में विद्युत अनुज्ञप्तिधारी (लाईसेंसी) द्वारा विद्युत प्रदाय हेतु किये जाने वाले कार्यों को संपादित करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई थी । स्वतंत्रता के पश्चात् विद्युत प्रदाय को एक आधारभूत सुविधा माना गया व इसे जनसाधारण को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 पारित किया गया । इस अधिनियम के तहत राज्य विद्युत मण्डलों का गठन कर राज्यों में विद्युत व्यवस्था के आधारभूत ढाँचें का निर्माण व इसे राज्य के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुँचाने का दायित्व इन विद्युत मण्डलों को सौंपा गया । इस व्यवस्था के तहत विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण का एकीकृत कार्य विद्युत मण्डलों को दिया गया । विद्युत मण्डलों द्वारा पंचायती योजनाओं के तहत विद्युत संरचना के विस्तार का कार्य त्वरित गति से किया गया व प्रयास किया गया कि प्रदेश के सभी नागरिकों को विद्युत की उपलब्धता हो । इस अधिनियम में उत्पादन एवं पारेषण के स्वतंत्र निकायों की व्यवस्था नहीं थी । यद्यपि राज्य विद्युत मण्डलों द्वारा विद्युत प्रदाय के विस्तार में अपेक्षित गति से कार्य किया गया तथापि समय बीतने के साथ ही इनकी कार्य–क्षमता में अनपेक्षित गिरावट आई, जिससे अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न होने लगी । विद्युत मण्डलों की माली हालत भी खराब होती गई, जिससे विद्युत की बढ़ती माँग की पूर्ति करने में पर्याप्त उत्पादन क्षमता की वृद्वि नहीं हो पाई । वर्तमान में भी अनेक राज्यों में विद्युत की कटौती लागू करनी पड़ रही है । इसका एक मुख्य कारण यह है कि राज्य विद्युत मण्डलों को स्वतंत्र एवं व्यावसायिक रूप से संचालित नहीं किया जा सका है।

विद्युत क्षेत्र के इन समस्याओं को देखते हुए इस क्षेत्र में सुधार लाने के प्रयास किये जा रहे हैं । सर्वप्रथम केन्द्रीय सरकार द्वारा इसमें पहल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट, 1998 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत मध्यप्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया था और वह आयोग विद्युत नियमन का कार्य कर रहा था । उस समय छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में नहीं था । छत्तीसगढ़ राज्य का उदय 01 नवंबर 2000 को हुआ ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2000 में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की गई, जिसमें विद्युत के क्षेत्र में सुधार लाने हेतु प्रस्ताव पारित कर समुचित उपाय करने का संकल्प किया गया । यह परिकल्पना की गई कि ऊर्जा प्रणाली का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन कर इन्हें वाणिज्यिक रूप से सक्षम इकाइयों के रूप में कृत्य करने योग्य बनाया जावे जिससे कि ये शासकीय सहायता एवं अनुदान पर आश्रित न रहें ।

उपरोक्त सुधार प्रक्रिया को गति प्रदान करने हेतु तथा विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण में निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक सुबोध, समन्वय एवं सामन्जस्य कारक कानून निर्मित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई जो अपने कलेवर में 1910 का कानून, 1948 का कानून तथा 1998 के आवश्यक उपबन्धों को समाविष्ट करता हुआ देश के विद्युत उद्योग को विनियमित करे, जिसमें ऊर्जा व्यापार की नई धारणायें हों और खुली पहुँच हो तथा साथ ही राज्यों के सुधार कानूनों जहां वे इस अधिनियम से मेल न खाते हों, उनसे छुटकारा दे सके । संसद द्वारा व्यापक विचार–विमर्श के बाद विद्युत अधिनियम, 2003 पारित किया गया, जो दिनांक 10 जून 2003 से प्रभावशील हुआ । इस अधिनियम को लागू करते हुए विद्युत क्षेत्र में विद्युत बोर्ड, जो 1948 के कानून के अधीन गठित है, का एकाधिकार समाप्त किया गया । विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अनुज्ञप्ति की बाध्यता को समाप्त किया गया । पारेषण की राज्य स्तर की इकाई को स्वतंत्र रूप से संचालित करने का प्रावधान किया गया । इसके साथ ही साथ राज्य इकाई के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा भी पारेषण का कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई । वितरण कम्पनियों के अलग से गठन का प्रावधान किया गया, जिससे कि इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़े एवं उपभोक्ताओं को

अधिकाधिक लाभ मिल सके । इसके अलावा विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय वितरण कम्पनी चुनने का भी अधिकार दिया गया । ग्रामीण क्षेत्रों के लिये वितरण का संचालन करने के अधिकार पंचायत, उपभोक्ता संगठनों इत्यादि को देने का प्रावधान किया गया है । साथ ही साथ इस अधिनियम में विद्युत प्रदाय के व्यापार करने का भी प्रावधान है ।

उपरोक्त अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत शासन के द्वारा राष्ट्रीय विद्युत नीति एवं राष्ट्रीय विद्युत योजना भी बनाई गई है। इस सबका मुख्य उद्देश्य यह है कि, भारत में कृषि एवं उद्योगों का उत्थान हो एवं दूर दराज के ग्रामीण स्थानों में भी प्रत्येक घर में गुणवत्ता सहित निरंतर पर्याप्त बिजली उचित दर पर मिल सके।

1.2 आयोग के गठन का उद्देश्य

जैसा कि कंडिका 1.1 में बताया गया है विद्युत अधिनियम 2003 लागू होने के पहले विद्युत क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस एक्ट, 1998 पारित किया गया था, ताकि राज्य सरकार पर विद्युत मण्डलों की निर्भरता कम की जा सके, विद्युत उत्पादन, पारेषण व वितरण क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके एवं सम्पूर्ण विद्युत क्षेत्र को सुदृढ़ किया जा सके । केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग एवं राज्यों में राज्य विद्युत नियामक आयोग के गठन द्वारा टैरिफ का युक्तियुक्त रूप से निर्धारण करने, पारदर्शी लायसेंसिंग प्रक्रिया अपनाने, युटिलिटी एवं उपभोक्ताओं के हितों के बीच सम्यक संतुलन स्थापित करने के साथ ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ । सारांश में उद्देश्य यह था कि स्वशासी विद्युत नियामक आयोग की स्थापना से विद्युत सुधारों को शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जा सके । विद्युत अधिनियम 2003 के लागू होने के बाद उपरोक्त अधिनियम निरसित किया गया है। विद्युत अधिनियम 2003 में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर नियामक आयोग के गठन के लिये व्यापक प्रावधान किये गये हैं।

1.3 आयोग का गठन एवं अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन अधिसूचना क्रमाँक 3190/S/E/2002 दिनाँक 23/08/2002 सहपठित अधिसूचना क्रमाँक 432/R/352 दिनाँक 11/05/2004 के द्वारा किया गया । आयोग का मुख्यालय रायपुर में स्थित है । गठन के पश्चात् राज्य शासन ने आदेश क्रमाँक F-1/38/2004/13/1 दिनाँक 10/06/2004 के द्वारा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य के पदों पर नियुक्तियाँ निम्नानुसार की :–

1. श्री एस. के. मिश्र – अध्यक्ष
2. श्री शरत चंद्र – सदस्य

आयोग में उपरोक्त नियुक्ति के पूर्व श्री एस. के. मिश्र, भा.प्र.से. (सेवानिवृत), छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव के पद पर सेवारत थे तथा श्री शरत चंद्र छ.रा.वि.मं. में सचिव तथा सदस्य (पारेषण एवं वितरण) के पद पर सवा दो साल सेवाएँ देकर सेवानिवृत्त हुए थे । अध्यक्ष व सदस्य ने 01 जुलाई 2004 को पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के पश्चात् आयोग में अपना पद भार संभाला । इस प्रकार राज्य में आयोग 01 जुलाई 2004 से कार्यशील है ।

1.4 आयोग का कार्य स्थल

गठन के पश्चात् आयोग ने सर्वप्रथम राज्य की राजधानी रायपुर में मंत्रालय के भवन में दो कक्षों में अपने कार्य का शुभारंभ किया । दिनांक 04–09–2004 से आयोग का कार्यालय रायपुर के प्रमुख मार्ग जी.ई रोड, सिविल लाइन्स में एक किराये के भवन में है ।

———000———

खण्ड–2

मानव संसाधन एवं उनका विकास

2.1 आयोग का संगठनात्मक चार्ट

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 91 के अंतर्गत राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त कर आयोग के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से आयोग में विभिन्न पदों का सृजन किया गया । आयोग का वर्तमान संगठनात्मक चार्ट निम्नानुसार है :

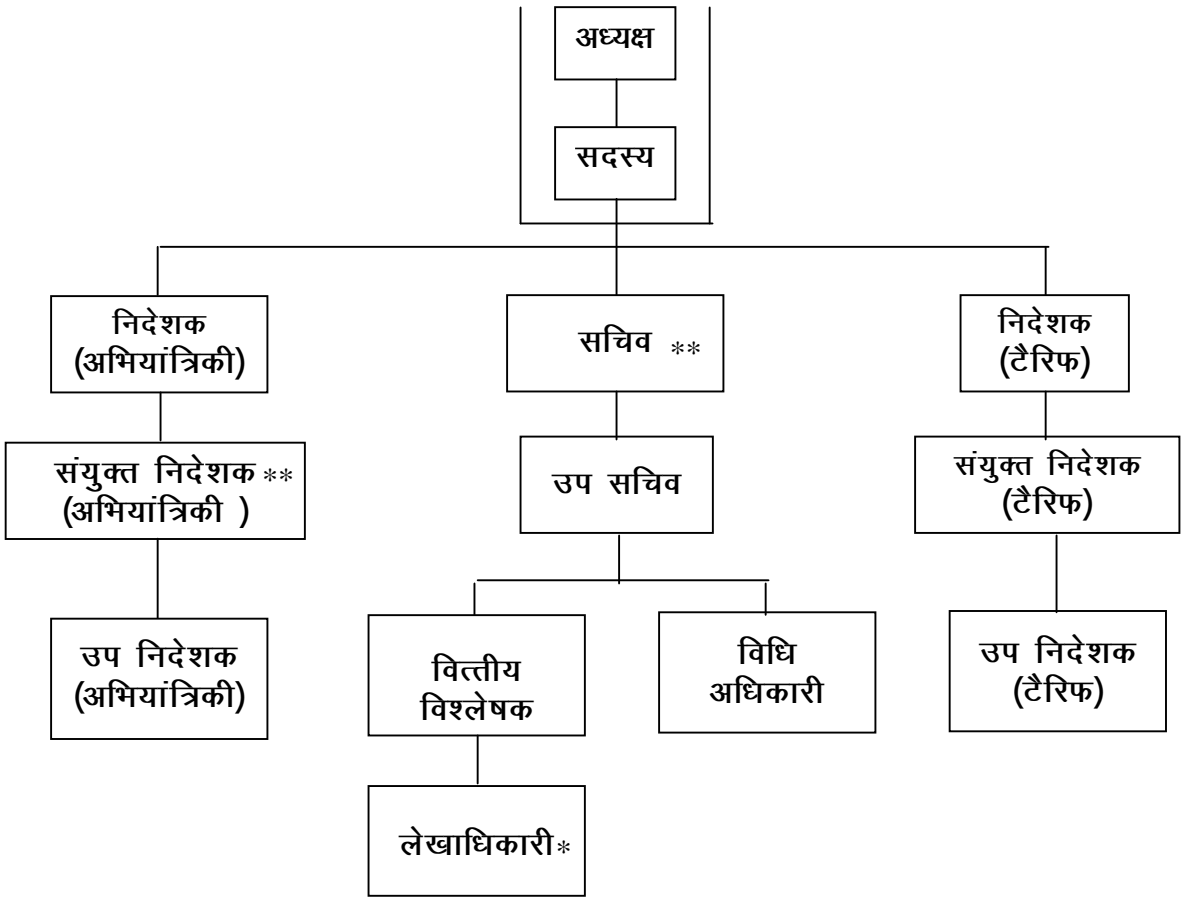

* 31.12.2005 तक की स्थिति में पद रिक्त ।

** 31.12.2005 की स्थिति में सचिव व संयुक्त निदेशक (अभियांत्रिकी) का अतिरिक्त कार्य दायित्व का निर्वहन क्रमशः निदेशक (अभियांत्रिकी) व उप सचिव द्वारा किया जा रहा है ।

2.2 आयोग में सेवारत अधिकारी एवं उनका संक्षिप्त विवरण

सृजित पदों को भरने के उद्देश्य से आयोग में अधिकारियों, व कर्मचारियों की नियुक्ति सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति तथा संविदा नियुक्ति द्वारा की गई । आयोग के क्रियाशील होने के उपरांत 31 दिसम्बर 2005 तक आयोग में निम्नलिखित अधिकारी सेवारत रहे :–

क्रमाँक	नाम	पद	पदभार ग्रहण करने की दिनाँक
1.	श्री डी.के. दीवान	निदेशक (टैरिफ)	04.10.2004
2.	श्री एन. के. रूपवानी	निदेशक (अभियांत्रिकी), सचिव का अतिरिक्त प्रभार 10.10.2005 से	04.10.2005
3.	श्री अजय श्रीवास्तव	उप सचिव, (सचिव का दायित्व 09–10–2005 तक)	06.08.2004
4.	श्री मुकेश नाहर	संयुक्त निदेशक	28.09.2004
5.	श्री अजय जैन	वित्तीय विश्लेषक	30.09.2004
6.	श्री एस.पी. शुक्ला	उप निदेशक (अभियांत्रिकी)	21.10.2004
7.	श्री हरेश सतपथी	उप निदेशक (टैरिफ)	30.12.2004
8.	श्री विवेक गनोदवाले	विधि अधिकारी	10.12.2004
9.	श्री आलोक कुमार श्री आनंद मिश्रा	कनिष्ठ लेखाधिकारी ––––– '' –––––	26.07.2004 से 12. 09.2005 तक 20.09.2005 से

1. **श्री डी.के. दीवान, निदेशक (टैरिफ)**:– शैक्षणिक योग्यता बी.ई. (इलेक्ट्रीकल), मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में मुख्य अभियंता के पद से सेवानिवृत्त, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग में 04 साल संयुक्त निदेशक के पद पर कार्य का अनुभव ।

2. **श्री एन.के. रूपवानी, निदेशक (अभियांत्रिकी)** :– शैक्षणिक योग्यता बी.ई. (आनर्स) (मेकेनिकल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल में मुख्य अभियंता के पद से सेवानिवृत्त। 10 अक्टूबर 2005 से आयोग के सचिव के कार्यभार का निर्वहन भी कर रहे है ।

3. **श्री अजय श्रीवास्तव, उप सचिव** :– शैक्षणिक योग्यता बी.ई. (इलेक्ट्रीकल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल में अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता तथा उप सचिव के पद से आयोग में प्रतिनियुक्ति पर हैं । सचिव का पद रिक्त होने के कारण उप सचिव को दिनांक 09.10.05 तक सचिव का समस्त दायित्व सौंपा गया था। 10.10.2005 से संयुक्त निर्देशक (अभियांत्रिकी) के कार्यभार का निर्वहन भी कर रहे हैं ।

4. **श्री मुकेश नाहर, संयुक्त निदेशक** :– शैक्षणिक योग्यता बी.ई. (इलेक्ट्रीकल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता पद से आयोग में प्रतिनियुक्ति पर हैं ।

5. **श्री अजय जैन, वित्तीय विश्लेषक** :– शैक्षणिक योग्यता बी.कॉम., एफ.सी.ए. हैं। चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत लेखांकन, वित्त, लेखा–संपरीक्षा, करारोपण, वित्तीय विश्लेषण के क्षेत्र में 17 वर्ष का अनुभव जिसमें चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट के रूप में प्रैक्टीस, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट फर्म में, औद्योगिक ईकाईयों में तथा बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण द्वारा जारी अनुज्ञप्ति द्वारा मूल्यांकनकर्ता व हानि–निर्धारक के रूप में सेवाएँ दी ।

आयोग में अपने मूल कर्त्तव्य, वित्तीय विश्लेषक के साथ–साथ आयोग के आंतरिक वित्तीय सलाहकार तथा पुस्तकालय प्रभारी के रूप में भी अतिरिक्त कार्य दायित्व का निर्वहन किया ।

6. **श्री एस.पी. शुक्ला, उप निदेशक (अभियांत्रिकी)** :– शैक्षणिक योग्यता बी. ई. (यांत्रिकी)। शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रायपुर से अभियंता की उपाधि के उपरांत 11 वर्षो का विद्युत संयंत्रों में कमीशनिंग, प्रचालन, अनुरक्षण, ताप–विद्युत संयंत्रों का नवीनीकरण व आधुनिकीकरण का कमीशनिंग प्रबंधक के पद पर अनुभव ।

7. **श्री हरेश सतपथी, उप निदेशक (टैरिफ)** :– शैक्षणिक योग्यता बी.एस.सी. (वैद्युतीक) तथा एम.बी.ए. (वित्त) । 14 वर्षों का अनुभव जिसमें से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम पारादीप फॉस्फेट में विद्युत संयंत्र में तकनीकी व वाणिज्यिक कार्य, प्रचालन व अनुरक्षण कार्य का 11 वर्षों का अनुभव उप–प्रबंधक के पद पर । अन्य सरकारी व निजी औद्योगिक इकाईयों में भी वैद्युतीक अभियांत्रिकीय कार्य का अनुभव ।

8. **श्री विवेक गनोदवाले, विधि अधिकारी** :– शैक्षणिक योग्यता बी. कॉम, एल. एल. बी। आयोग में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व तक मुख्यतः जिला न्यायालय रायपुर में वकालत की । छत्तीसगढ़ शासन के श्रम तथा औद्योगिक न्यालयों हेतु गठित तथा रायपुर विकास प्राधिकरण के अधिवक्ताओं के पेनल में रह चुके है। विभिन्न शैक्षणिक व्यावसायिक एवं औद्योगिक संस्थाओं के विधि सलाहकार एवं अधिवक्ता के रूप में भी कार्यरत् रहे ।

2.3 आयोग के अधिकारियों को प्रशिक्षण

संदर्भित अवधि में आयोग द्वारा अपने अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित संस्थानों में विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलूओं, तथा टैरिफ के विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजा जिससे उनकी कार्यकुशलता में आधुनिकतम–आवश्यकतानुरूप अभिवृद्वि हो सके ।

विवरण

क्रमांक	अधिकारी का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम/विषय	प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था का नाम व स्थान	अवधि
1.	श्री डी.के. दीवान संचालक	1.मुक्त प्रवेश (Open Access) पर अंतराष्ट्रीय सम्मेलन	PGCIL दिल्ली	2 दिन (17 एवं 18 जन 2005)
2.	श्री मुकेश नाहर संयुक्त संचालक	1.टैरिफ निर्धारण पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन 2.मुक्त प्रवेश (Open Access) पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 3.सेवा प्रक्रिया की कीमत का अध्ययन का कोर्स	USAID, इस्लामाबाद, पाकिस्तान PGCIL दिल्ली आन्ध्रप्रदेश वि.नि.आयोग, हैदराबाद	7 दिन 2 दिन 7 दिन
3.	श्री अजय श्रीवास्तव उप सचिव	1.विद्युत अधिनियम 2003, रिटेल टैरिफ एवं वार्षिक राजस्व आवश्यकता'' 2.मुक्त प्रवेश (Open Access) पर अंतराष्ट्रीय सम्मेलन	ESCI हैदराबाद एवं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, चेन्नई PGCIL दिल्ली	3 दिन (25 से 27 नव. 2005) 2 दिन (17 एवं 18 जन. 2005)
4.	श्री अजय कुमार जैन वित्तीय विश्लेषक	विद्युत के क्षेत्र में गैर तकनीकी अधिशासियो हेतु तकनीकी पहलुओ की जानकारी	इजीनियरिंग स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद	15 दिन (8 से 22 दिस. 2005)
5.	श्री एच.के. सतपथी उप संचालक (टैरिफ)	1.टैरिफ प्रारूप एवं विश्लेषण 2.गुणवत्ता एवं बेंच मार्किंग तथा आपूर्ति की कीमत का अध्ययन का कोर्स 3.सेवा प्रक्रिया की कीमत के अध्ययन का कोर्स	ESCI हैदराबाद एवं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, चेन्नई ESCI हैदराबाद एवं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, चेन्नई आन्ध्रप्रदेश वि.नि.आयोग, हैदराबाद	7 दिन (26 जुलाई से 2 अगस्त 2005) 5 दिन (28 नवंबर से 2 दिसंबर 2005) 7 दिन
6.	श्री एस.पी. शुक्ला उप संचालक (अभियांत्रिकी)	1''विद्युत अधिनियम 2003, रिटेल टैरिफ एवं वार्षिक राजस्व आवश्यकता'' 2. मुक्त प्रवेश (Open Access) 3 गुणवत्ता एवं बेंच मार्किंग तथा आपूर्ति की कीमत का अध्ययन का कोर्स 4. सेवा प्रक्रिया की कीमत का अध्ययन का कोर्स	ESCI हैदराबाद एवं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, चेन्नई FOIR दिल्ली ESCI हैदराबाद एवं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, चेन्नई आन्ध्रप्रदेश वि.नि.आयोग, हैदराबाद	3 दिन (25 नव. से 27 नव. 2005) 2 दिन (6 एवं 7 जून 2005) 5 दिन (28 नव. से 2 दिस. 2005) 7 दिन

———**000**———

खण्ड–3

आयोग के कृत्य, कार्यवाहियां, शक्तियां एवं उसकी कार्यप्रणाली

3.1. आयोग के कृत्य :– विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 में निहित प्रावधानों के अनुसार, आयोग को निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करना है :–

(i) राज्य के भीतर विद्युत के उत्पादन, प्रदाय/आपूर्ति, पारेषण और Wheeling (व्हीलिंग) थोक विक्रय, थोक या फुटकर आपूर्ति के लिये टैरिफ का अवधारण ।

(ii) वितरण लायसेंसी द्वारा राज्य में प्रदाय के लिये जिस दर से विद्युत का क्रय किसी उत्पादक कंपनी, लायसेंसधारी अथवा अन्य स्त्रोतों से किया जाता है, उस प्रक्रिया का विनियमन करना ।

(iii) राज्य के भीतर विद्युत के पारेषण तथा व्हीलिंग सुगम बनाने के लिये आवश्यक उपाय करना ।

(iv) ऐसे व्यक्तियों को लायसेन्स प्रदान करना जो राज्य में पारेषण लायसेन्सी,, वितरण लायसेन्सी और विद्युत व्यापारी के रूप में कार्य करना चाहते है ।

(v) नवीनीकरण योग्य ऊर्जा के स्त्रोतों से ग्रिड से संयोजन के लिये उपयुक्त उपाय करना, विद्युत के सह–उत्पादन तथा उत्पादन को प्रोत्साहन देना तथा वितरण लायसेन्सी के क्षेत्र में विद्युत की कुल खपत के प्रतिशत, ऐसे स्त्रोतों से विद्युत की खरीद के लिए भी विनिर्दिष्ट करना ।

(vi) लायसेन्सियों और उत्पादन कम्पनीओं के बीच विवादों का अधिनिर्णय करना और माध्यस्थम (arbitration) के लिये किसी विवाद को Refer (निर्दिष्ट) करना।

(vii) धारा 79 के अधीन विनिर्दिष्ट केन्द्रीय ग्रिड कोड से सुसंगत (consistent) राज्य ग्रिड कोड का विनिर्दिष्ट करना ।

(viii) लायसेन्जीज के द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरन्तरता और विश्वसनीयता के बारे में मानकों (standards) को विर्निर्दिष्ट करना तथा प्रभावशील करना ।

(ix) यदि आवश्यक समझा जाए तो राज्य के भीतर विद्युत के व्यापार में ट्रेडिंग मार्जिन तय करना ।

(x) अधिनियम के अधीन ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो उसे सौंपे जाएँ ।

(2) आयोग राज्य सरकार को निम्नलिखित मामलों में से सम्पूर्ण मामलों पर या उन मामलों में से किसी मामले पर परामर्श दे सकता हैः–

(i) विद्युत उद्योग के क्रिया कलाप में प्रतिस्पर्धा, दक्षता, और मितव्ययिता को प्रोत्साहन देना ;

(ii) विद्युत उद्योग में पूँजी निवेश को प्रोत्साहन देना ;

(iii) राज्य में विद्युत उद्योग का पुनर्गठन और पुनः संरचना एवं

(iv) विद्युत उत्पादन, पारेषण वितरण और व्यापार सम्बन्धी मामले या कोई अन्य मामला जो उस सरकार द्वारा राज्य आयोग को सौंपा गया हो ।

(3) आयोग अपनी शक्तियों के प्रयोग में तथा कृत्यों के निर्वहन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा ।

(4) आयोग अपने कृत्यों के निर्वहन करने में राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय विद्युत योजना, और धारा 3 के अधीन प्रकाशित टैरिफ नीति से दिशा–निर्देशन या मार्गदर्शन लेगा ।

3.2 आयोग की कार्यवाहियाँ :–

(1) आयोग विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 92 के अनुसार हेड आफिस (मुख्यालय) पर या कोई अन्य स्थान पर ऐसे समय जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, मीटिंग करेगा और मीटिंग में कोरम (गणपूर्ति) को शामिल करते हुए कारोबार के

संव्यवहार के बारे में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जैसा कि वह विनिर्दिष्ट करे।

(2) अध्यक्ष या, यदि वह आयोग के सम्मिलन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो इस बारे में नामनिर्दिष्ट कोई अन्य सदस्य और ऐसे नामनिर्देशन की अभाव में, या जहाँ कोई अध्यक्ष नहीं है तो कोई उपस्थित सदस्यों के आपस में उनके बीच से चयनित सदस्य सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा ।

(3) आयोग के किसी सम्मिलन के समक्ष समस्त प्रश्न जो आते है तो उनका विनिश्चय उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा और समान मतों की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति, द्वितीय या निर्णायक मत देगा ।

(4) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चयों का अनुप्रमाणीकरण उसके सचिव द्वारा या आयोग के कोई अन्य अधिकारी द्वारा जो इस बारे में अध्यक्ष के द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत हो, किया जायेगा ।

3.3 आयोग की शक्तियाँ :–

विद्युत अधिनियम की धारा 94 के अनुसार आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी जाँच या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिये वही शक्तियाँ प्राप्त है, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 (5/1908) के अधीन निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में निहित की गई हैं, नामतः–

(a) किसी व्यक्ति की उपस्थिति हासिल करने के लिये समन करना और उसका शपथ पर परीक्षण करना ;

(b) किसी (विलेख) दस्तावेज की खोज कर प्राप्ति और उसकी प्रस्तुति के लिये या साक्ष्य के रूप में अन्य प्रस्तुत किये जाने योग्य अन्य महत्वपूर्ण विषय (object);

(c) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना/ग्रहण करना;

(d) किसी लोक अभिलेख को तलब करना;

(e) साक्षियों के परीक्षण के लिये कमीशन जारी करना;

(f) अपने विनिश्चयों, निर्देशों और आदेशों का पुनर्विलोकन (reviewing) करना ;

(g) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाय ।

(2) आयोग, किसी कार्यवाही में, सुनवाई करते समय या कोई मामला जो आयोग के समक्ष हो और जैसा आयोग समुचित समझे ऐसा अन्तरिम आदेश पारित करने की शक्तियाँ रखेगा ।

(3) आयोग, उपभोक्ताओं के हित का अपने समक्ष कार्यवाहियों में प्रतिनिधित्व करने के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे ।

3.4 प्रवेश (Entry) और अभिग्रहण (Seizure) की शक्तियाँ :–

विद्युत अधिनियम की धारा 96 के अनुसार आयोग या कोई अन्य अधिकारी जो राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी से कम नहीं हो और जिसे आयोग ने विशेष रूप से इस बारे में प्राधिकृत किया हो किसी ऐसे भवन या स्थान में प्रवेश कर सकेगा जहाँ आयोग को यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई दस्तावेज/विलेख, जाँच के मामले के अध्यधीन पाई जा सकती है और ऐसी दस्तावेज/विलेख अभिग्रहीत किया जा सकता है या क्रीमनल प्रोसीजर कोड 1973 (2/1974) की धारा 100 के उपबंधों के अध्यधीन वहां से उद्धरण (सारांश) (extratcts) लिये जा सकते हैं या प्रतिलिपियाँ ली जा सकती है ।

3.5 आयोग के समक्ष कार्यवाहियाँ :–

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 95 के अनुसार समस्त कार्यवाहियाँ आयोग के समक्ष भारतीय दण्ड संहिता (45/1860) की धाराओं 193 तथा 228 के आशयों के भीतर

न्यायिक कार्यवाहियाँ समझी जाएगी और आयोग दण्ड प्रक्रिया संहिता (क्रीमनल प्रोसीजर कोड, 1973 (2/1974)) की धाराओं 345 तथा 346 के प्रयोजनों के लिये सिविल कोर्ट समझा जायेगा ।

3.6 आयोग की कार्यप्रणाली :–

अधिनियम में यह अपेक्षा की गई है कि आयोग अपने कार्य निष्पादन में पूर्ण पारदर्शिता बरतेगा एवं इसमें उपभोक्ताओं से अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करेगा । आयोग की कार्यप्रणाली न्यायिक कार्यप्रणाली के तुल्य है । आयोग द्वारा अपने विभिन्न कार्य के निष्पादन करने के संबंध में विनियम बनाने का प्रावधान है । आयोग में विभिन्न कार्य के निष्पादन की प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में भी आयोग द्वारा अलग से विनियम बनाया गया है जो कि, ''कार्य संचालन विनियम 2004'' है । इस विनियम में आयोग की कार्य प्रणाली विस्तृत रूप में दी गई है । इसके मुख्य प्रावधान निम्नानुसार है :–

1. कोई भी व्यक्ति आयोग के समक्ष निर्धारित रीति से आवेदन/याचिका प्रस्तुत कर सकता है ।
2. याचिका शुल्क लाईसेंसी या किसी कंपनी या व्यक्ति के मामले में प्रकरण की विषयवस्तु के अनुसार अलग–अलग निर्धारित हैं ।
3. प्रत्येक व्यक्ति जिसे जाँच या याचिका के बारे में सूचना–पत्र जारी किया गया है वह अपना उत्तर समस्त प्रतिलिपियों सहित निर्धारित समय–सीमा में आयोग के सामने प्रस्तुत करेगा ताकि मामले की सही जाँच समुचित रूप से की जा सके ।
4. आयोग के सामने संबंधित व्यक्ति उपस्थित हो सकेगा या कार्यवाही एवं पैरवी करने हेतु अधिकृत व्यक्ति नियुक्त कर सकता है ।
5. आयोग निर्धारित मामले की सुनवाई आवेदन के क्रमानुसार निश्चित स्थान, दिनाँक तक समय निर्धारण कर अधिनियम के तहत् निपटाने की कोशिश करने के लिए पात्र होगा ।
6. आयोग किसी भी कार्यवाही, सुनवाई या किसी मामले के दौरान कोई भी अंतरिम आदेश जो वह उचित समझे, जारी कर सकता है ।

7. विद्युत अधिनियम के अनुसार आयोग अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विवादों का हल, विवाद के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार द्वारा आवेदन किये जाने पर शुरू कर सकेगा । यह पूरी प्रक्रिया माध्यमस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत संचालित की जायेगी ।

8. आयोग जैसा उचित समझे आवश्यक जानकारी एकत्र करने के लिये जाँच, अनुसंधान, प्रवेश, खोज एवं जब्ती के लिए आदेश कर सकेगा ।

9. यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी अनुज्ञप्ति के किसी नियम, शर्त या अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो आयोग विद्युत अधिनियम की धारा 128 के तहत् उनके विरूद्ध लिखित आदेश देकर उसके काम–काज की जाँच करा सकता है ।

10. यदि आयोग के किसी नियम–कानून का उल्लंघन होता है तो वह पक्षकार के शिकायत के आधार पर प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने की कार्यवाही कर सकता है ।

11. यदि कोई व्यक्ति बताये गये उल्लंघन को स्वीकार नहीं करता और सुनवाई की मांग करता है तो आयोग विद्युत अधिनियम के तहत् मामले की सुनवाई करेगा । इसके साथ यदि व्यक्ति निर्धारित तिथि में सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होता है तो आयोग ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में अपने अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

12. नियम/कानून या प्रावधानों को लागू करने में आयोग यदि कोई कठिनाई महसूस करता है तो वह सामान्य या विशेष आदेश उस कठिनाई को दूर करने के लिए जारी कर सकता है, जो विद्युत अधिनियम के सम्मत हो ।

आयोग के समक्ष सभी मामलों की सुनवाई खुले रूप से होती है जहां कोई भी संबंधित व्यक्ति उपस्थित हो सकता है । उपर्युक्त मामलों में उपभोक्ताओं के पक्ष में प्रस्तुत करने के लिए किसी भी व्यक्ति को आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है ।

———000———

खण्ड–4

राज्य सलाहकार समिति गठन तथा इसके उद्देश्य

4.1 राज्य सलाहकार समिति का गठन :–

विद्युत अधिनियम की धारा 87 की उपधारा (1) में निहित प्रावधानों एवं इस संबंध में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को मनोनित करते हुए राज्य सलाहकार समिति का गठन अधिसूचना क्रमाँक 696/छ.रा.वि.नि.आ./विनियम–3/2005 दिनाँक 25–02–2005 के द्वारा किया गया ।

1.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर	अध्यक्ष	पदेन
2.	सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर	सदस्य	पदेन
3.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, रायपुर	सदस्य	पदेन
4.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, रायपुर	सदस्य	अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि
5.	महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर या उनके प्रतिनिधिगण	सदस्य	परिवहन के प्रतिनिधि
6.	प्रबंध संचालक, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई या उनके प्रतिनिधिगण	सदस्य	बड़े उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि
7.	महापौर, रायपुर नगर पालिक निगम, रायपुर या उनके प्रतिनिधिगण	सदस्य	उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि
8.	श्री मुकुन्द हम्बर्डे, रायपुर	सदस्य	उपभोक्तओं के प्रतिनिधि
9.	श्री नितीन सिंघवी, रायपुर	सदस्य	उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि
10.	अध्यक्ष, कंफडेरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज, छत्तीसगढ़ चैप्टर, रायपुर	सदस्य	उद्योगों के प्रतिनिधि
11.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ उद्योग महासंघ, रायपुर	सदस्य	उद्योगों के प्रतिनिधि

12.	अध्यक्ष, उरला इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, रायपुर	सदस्य	उद्योगों के प्रतिनिधि
13.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ, बिलासपुर	सदस्य	उद्योगों के प्रतिनिधि
14.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चेम्बर आफकामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज रायपुर	सदस्य	वाणिज्य के प्रतिनिधि
15.	विभागाध्यक्ष, विद्युत यांत्रिकी विभाग, इंजीनियरिंग कालेज के रायपुर	सदस्य	शैक्षणिक क्षेत्र प्रतिनिधि
16.	श्री ललित सिंघानिया, रायपुर	सदस्य	गैरसरकारी/ अशासकीय संगठन के प्रतिनिधि
17.	श्री रामचन्द्र चेट्टी, कोरबा	सदस्य	श्रमिकों के प्रतिनिधि
18.	श्री अरूण कुमार चौबे, रायपुर	सदस्य	श्रमिकों के प्रतिनिधि
19.	श्री प्रभात मेघावाले, रायपुर 1	सदस्य	कृषक प्रतिनिधि
20.	श्री भागवत राम साहू, धमतरी	सदस्य	कृषक प्रतिनिधि

21. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ऊर्जा विभाग, रायपुर कमेटी के स्थाई आमंत्रित सदस्य होंगे । आयोग के सचिव, समिति के पदेन सचिव होंगें ।

टीपः– 1 श्री प्रभात मेघावाले ने 19–04–05 को राज्य सलाहकार समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया । आयोग द्वारा अधिसूचना क्रमांक 391/छ.ग.रा.वि.नि.आ./अधि./2005 दिनांक 29–06–2005 के द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया ।

4.2 समिति के उद्देश्य :–

विद्युत अधिनियम की धारा 88 में राज्य सलाहकार समिति के गठन के उद्देश्य का उल्लेख किया गया है । तद्नुसार आयोग द्वारा गठित राज्य सलाहकार समिति निम्नलिखित विषयों पर आयोग को परामर्श दे सकेगी –

(1) नीतिगत मुख्य प्रश्नों पर;

(2) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता एवं विस्तार से संबंधित विषयों पर;

(3) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं अपेक्षाओं के अनुपालन पर;

(4) उपभोक्ता हित संरक्षण पर; एवं

(5) यूटिलिटी द्वारा विद्युत प्रदाय एवं कार्य निष्पादन के मानकों पर ।

4.3 राज्य सलाहकार समिति की बैठके :–

राज्य सलाहकार समिति का गठन दिनाँक 25–02–2005 के पश्चात् समिति की पहली बैठक दिनाँक 22 मार्च 2005 को, दूसरी बैठक 07 जुलाई 2005 को आयोजित की गई । (दिनांक 3/1/2006 को समिति की तीसरी बैठक सम्पन्न हुई) ।

———**000**———

खण्ड–5

आयोग द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों का विवरण
(जुलाई 2004 से दिसम्बर 2005)

5.1 आयोग द्वारा विनियमों को जारी करने की प्रक्रिया :–

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने तथा आयोग को सौपें गये कृत्यों को पूरा करने के लिए आयोग को अधिनियम की विभिन्न धाराओं से सुसंगत विनियम बनाने की शक्ति दी गई है ।

आयोग द्वारा विनियम का प्रकाशन अधिसूचना (नोटिफिकेशन) द्वारा किया जाता है । अधिसूचना की परिभाषा विद्युत अधिनियम की धारा 2 (46) में दी गई है जिसके अनुसार अधिसूचना का अभिप्राय शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है। धारा 181 की उपधारा (3) में यह प्रावधान है कि आयोग द्वारा उस अधिनियम के अर्न्तगत बनाए गए समस्त विनियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे।

पूर्व प्रकाशन हेतु आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है:–

1. प्रारूप विनियम आयोग की वेबसाईट पर रखे जायेंगे। तथा प्रारूप विनियमों की प्रतियाँ आयोग के कार्यालय व पुस्तकालय में कार्यालय के कार्य–अवधि में उपलब्ध होंगी ।

2. प्रारूप विनियमों के बारे में आपत्ति/सुझाव/ टिप्पणियाँ आमंत्रित करने हेतु सर्वाधिक प्रसारित दो समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित की जायेगी तथा ऐसी सूचना आयोग के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी । उक्त सूचना में विनियम की विषय–वस्तु का विवरण संक्षेप में होगा ।

3. प्रारूप विनियम की एक–एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जायेगी :–

(क) राज्य शासन के उर्जा विभाग;

(ख) राज्य सलाहकार समिति के प्रत्येक सदस्य; एवं

(ग) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी को

4. दो सप्ताह या उससे अधिक समय जैसा आयोग द्वारा समुचित माना जाये, आपत्तियाँ, सुझाव व टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने हेतु दिया जायेगा ।

5. समुचित प्रकरणों में आयोग द्वारा प्राप्त आपत्तियों, सुझावों व टिप्पणियों के आधार पर अथवा अन्यथा प्रारूप विनियम पर जन–सुनवाई की जा सकती है।

6. विनियम को अंतिम रूप, जैसा कि आयोग द्वारा स्वीकृत किया जाये, शासकीय राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजा जायेगा । प्रकाशन के उपरांत विनियम को आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा तत्संबंधी सूचना आयोग के आम सूचना–पटल पर प्रदर्शित की जायेगी तथा एक प्रेस–विज्ञप्ति भी जारी की जा सकती है।

5.2 विनियम /संहिता/दिशा निर्देश (गाईड लाईन्स) :–

आयोग द्वारा वर्ष 2004 में कुल 6 विनियम बनाकर पहले उनके प्रारूपों को छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में प्रकाशित करवाया गया, जिनमें से तीन विनियम वर्ष 2004 के अंत तक सुझाव, आपत्ति, सुनवाई आदि की प्रक्रिया पूर्ण करके अंतिम रूप से राजपत्र में प्रकाशित करवा दिए गए थे । शेष तीन विनियम 31–12–2004 तक सुझाव, आपत्ति, सुनवाई व विचार विमर्श हेतु पूर्व प्रकाशन की स्थिति में थे जो कि, वर्ष 2005 में अंतिम रूप से छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में प्रकाशित करवा दिये गए ।

वर्ष 2005 में कुल 5 विनियम बनाकर पहले उनके प्रारूपों को छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में पूर्व प्रकाशित करवाया गया । जिनमें से 3 विनियम वर्ष 2005 के अंत तक सुझाव, आपत्ति, सुनवाई आदि की प्रक्रिया पूर्ण करके अंतिम रूप से राजपत्र में प्रकाशित करवा दिए गए थे, तथा शेष दो विनियम 31–12–2005 तक सुझाव, आपत्ति सुनवाई व विचार विमर्श हेतु पूर्व प्रकाशन की स्थिति में थे। नये विनियमों के अलावा वर्ष 2004 के दो विनियमों में संशोधन करके राजपत्र में प्रकाशित करवाए गए थे । वर्ष 2005 में आयोग द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता एवं ग्रिड संहिता भी बनाई गई, जिनमें से

विद्युत प्रदाय संहिता, अंतिम रूप से राजपत्र में प्रकाशित करवा दी गई है जबकि ग्रिड संहिता अभी प्रारूप की स्थिति में है। आयोग द्वारा वर्ष 2005 में ''विद्युत क्रय एवं विद्युत प्राप्ति प्रक्रिया'' पर एक दिशा निर्देश ("Guidlines for Power Purchase and Power Procurment") भी बनायी गई है जो अभी प्रारूप की स्थिति में है इसे अंतिम रूप दिया जाना है ।

(1) 31 दिसंम्बर 2005 तक जारी विनियम/संहिता (अंतिम रूप से राजपत्र में प्रकाशित) :–

1. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम–2004
2. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) विनियम–2004
3. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम–2004
4. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण और फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2004 प्रारूप
5. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) विनियम 2004 प्रारूप
6. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिए उत्पादन कम्पनी और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये जाने वाले विवरण एवं आवेदन देने की रीति) विनियम 2004 प्रारूप
7. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सुरक्षा निधि) विनियम–2005
8. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम–2005
9. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यांतरिक मुक्त उपयोग) विनियम–2005
10. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2005

11. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण और फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (प्रथम संशोधन) विनियमः2005

12. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) (प्रथम संशोधन) विनियमः2005

(2) वर्ष 2005 के अंत तक प्रारूप विनियम व संहिता जिनका प्रारंभिक प्रकाशन किया गयाः–

(1) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण हेतु निबंधन व शर्तें) विनियम–2005

(2) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ग्रिड संहिता 2005

(3) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल करने की प्रक्रिया) विनियम–2005

इस प्रकार अठारह माह की अवधि में आयोग द्वारा लगभग सभी प्रमुख विषयों पर अन्य राज्यो के आयोगो द्वारा बनाये विनियमो की संख्या के लगभग बराबर विनियम बना लिये गये है। यह अपने आप में एक बडी उपलब्धि है।

(3) वर्ष 2005 के अंत तक आयोग द्वारा जारी प्रारूप दिशा निर्देश :–

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत क्रय तथा विद्युत प्राप्ति (Procurement) की प्रक्रिया हेतु दिशा निर्देश (गाईडलाईन्स) जारी किया गया।

(4) वर्ष 2005 के अंत तक जारी स्टैंडिंग आर्डर :–

कार्यालयीन प्रक्रिया–फाईलों का नंबर देना एवं फाईलों का रख–रखाव संबंधी आदेश जारी किये गये।

5.3 याचिकाओं/आवेदन पत्रों का निराकरण :–

वर्ष 2004 में याचिकाओं और आवेदनों के निराकरण का कार्य दिसंबर 2004 में प्रारंभ हो सका क्योंकि आयोग को अपने कार्यालय में स्थापित होने के बाद आवश्यक स्टॉफ की नियुक्ति करने में कुछ समय लगा। वर्ष 2004 व 2005 में पंजीकृत, निराकृत व विचाराधीन याचिकाओं व आवेदन पत्रों की स्थिति निम्नांकित सारणी में दर्शायी गई है।

वर्ष	आवेदनों/याचिकाओं की संख्या			
	वर्ष के प्रारंभ में विचाराधीन	वर्ष में पंजीकृत	वर्ष में निराकृत	वर्ष के अंत में विचाराधीन
2004	–	2	–	2
2005	2	44	38	8

5.4 लाइसेंस का प्रदाय :–

इस अवधि में आयोग द्वारा दो वितरण लाईसेंस जारी किये गये हैं :–

(1) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 में निहित प्रावधानो के अन्तर्गत मेसर्स जिन्दल स्टील एवं पॉवर लिमिटेड को उनकी याचिका पर सुनवाई कर, रायगढ़ जिले के निर्दिष्ट क्षेत्र में विद्युत वितरण हेतु अनुज्ञप्ति, आयोग द्वारा प्रदान की गई ।

(2) इसी प्रकार भिलाई स्टील प्लांट को भी भिलाई टाउनशिप में विद्युत वितरण हेतु अनुज्ञप्ति जारी कर दी गई है ।

आयोग के समक्ष वर्तमान में लाईसेंस हेतु कोई आवेदन लंबित नहीं है ।

5.5 टैरिफ फिलॉसॉफी :–

आयोग द्वारा एक टैरिफ फिलॉसॉफी वर्ष 2005 में जारी की गई जिसमें आयोग द्वारा राज्य में विद्युत दरों के अवधारण करते समय जिन मूल सिद्धांतों, को ध्यान में

रखा जायेगा उनको समाविष्ट किया गया है । इन सिंद्धांतों में वाणिज्यिक सिद्धान्त; विद्युत प्रदाय लागत; क्रॉस–सब्सिडी की वसूली एवं उसकी क्रम–वार समाप्ति; विद्युत प्रदाय में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन; लाईसेंसी की कार्यक्षमता में वृद्वि; तथा संसाधनों का मितव्ययी उपयोग बहु वर्षीय टैरिफ सिद्धांत, आदि प्रमुख है ।

5.6 विद्युत के थोक, बल्क या खुदरा प्रदाय हेतु टैरिफ का निर्धारण : छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की वर्ष 2005–06 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता व टैरिफ अवधारण याचिका पर आदेश :–

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल ने वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु अपनी वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ याचिका 31–01–2005 को प्रथम बार आयोग के समक्ष प्रस्तुत की । आयोग ने उक्त याचिका की जाँच की । याचिका में अनेक त्रुटियाँ होने के कारण राज्य विद्युत मण्डल को निर्देश दिये कि याचिका की त्रुटियों को दुरूस्त करके 14–02–2005 तक याचिका को पुनः प्रस्तुत करें । विद्युत मंडल ने सुधार करने के पश्चात् टैरिफ याचिका 01–03–2005 को प्रस्तुत की । आयोग ने पुनः याचिका की जाँच की और उसमें पाई गई त्रुटियों को विद्युत मण्डल द्वारा दूर करने के बाद मूल याचिका दिनांकः 11–03–2005 को पंजीकृत की । टैरिफ याचिका की तकनीकी वैधता की जाँच 09–03–2005 से 11–03–2005 तक की गई । याचिका संक्षिप्त रूप में 13–03–2005 को समाचार पत्रों में आम जनता के लिये प्रकाशित करायी गई ।

मंडल की याचिका का संक्षिप्त संस्करण हिन्दी भाषा में आम जनता को विक्रय करने हेतु पुस्तिका के रूप में आयोग तथा मण्डल के कार्यालयों में उपलब्ध कराया गया तथा आयोग तथा मंडल की वेब–साईट पर भी जारी किया गया तथा 28–03–2005 तक आम जनता से सुझाव व आपत्तियाँ दर्ज करने का समय दिया गया जिसे बाद में जनता के आग्रह पर 03–04–2005 तक आगे बढ़ाया गया। तदुपरांत सुझाव व आपत्तियाँ प्राप्त करने का समय जन–सुनवाई की तिथी तक तथा यहाँ तक कि जन–सुनवाई के समय तक शिथिल कर दिया गया ताकि आम जनता को अपनी

आपत्तियाँ व सुझाव प्रस्तुत करने के लिए अधिकाधिक समय मिल सके । जन सुनवाई राज्य के विभिन्न स्थानों पर जैसे, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, अंबिकापुर एवं जगदलपुर में की गई ।

आयोग ने उपलब्ध आँकड़ो के आधार पर वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ अवधारण करने का कार्य पूर्ण करके विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 के अंतर्गत दिनांक 15–06–2005 को वर्ष 2005–06 के लिए टैरिफ आदेश जारी कर दिया तथा उसे सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 01–07–2005 से लागू करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को आदेश दे दिया । आयोग द्वारा मण्डल की वार्षिक राजस्व की आवश्यकता का आंकलन रू. 3133.02 करोड़ किया गया, क्योंकि प्रचलित विद्युत दरों से इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती थी और पूर्ति के लिए रू. 46.01 करोड़ की कमी रहेगी, इसकी भरपाई के लिए प्रचलित विद्युत दरों में कुछ वृद्धि के आदेश दिये गये । इस आदेश में टैरिफ में औसत वृद्धि 1.47 प्रतिशत ही है । इस प्रकार विद्युत दरों का पुनर्निर्धारण पहली बार वर्ष 1999 के बाद अर्थात् लगभग छः वर्ष बाद किया गया । इस आदेश के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :–

1. गरीबी रेखा से नीचे आने वाले उपभोक्ताओं हेतु विशेष टैरिफ निर्धारण किया गया जिससे कि ऐसे प्रत्येक उपभोक्ता को प्रतिमाह 30 युनिट तक विद्युत उपलब्ध हो सके ।
2. रिहायशी कॉलोनी में कम दर पर विद्युत प्रदाय हेतु उच्च दाब थोक विद्युत दर का निर्धारण किया गया है।
3. विद्युत दरों का युक्तियुक्तकरण करते हुये उनकी श्रेणियों में कमी की गयी।
4. विद्युत मण्डल को निर्देश दिया गया कि बिना मीटर के कोई नया विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाये एवं मार्च 2007 तक शत्प्रतिशत मीटरीकरण कर लिया जावे ।
5. विद्युत दरों की परिवर्तनीय लागत का समायोजन हेतु अलग से संलग्नीकरण सूत्र बनाया गया।

6. विद्युत मण्डल को निर्देश दिये गये कि पारेषण एवं वितरण हॉनि के सही आकलन के लिए विद्युत मण्डल अध्ययन करावें एवं हॉनि को कम करने के हेतु ठोस प्रयास किये जावे ।

7. औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये Time of Day Tarrif बनाया गया जिससे कि विद्युत का प्रदाय अपव्यय कम हो सके ।

8. राज्य सरकार को विद्युत शुल्क का सरलीकरण करने बाबत् सुझाव दिया गया ।

9. उपभोक्ताओ की शिकायतो के निराकरण हेतु प्रथम चरण में रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर उपभोक्ता शिकायत निराकरण फोरम की स्थापना के निर्देश दिये गये ।

उपरोक्त टैरिफ आदेश के अतिरिक्त आयोग द्वारा उपभोक्ता हित में विद्युत मण्डल को निर्देश दिये गये कि, वह उपभोक्ताओं को उनके द्वारा जमा की गयी सुरक्षा निधि पर समय–समय पर ब्याज देवे ।

5.7 छत्तीसगढ़ बायोमास इनर्जी डेवलपर्स एसोसिएशन (सी.बी.ई.डी.ए.) द्वारा प्रस्तुत टैरिफ अवधारण याचिका का निपटारा एवं बायोमास से विद्युत उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन :–

छत्तीसगढ़ राज्य में धान की भूसी तथा अन्य बायोमास पर आधारित विद्युत उत्पादन की अपार संभावनाएँ होने के कारण अनेक कंपनियों द्वारा विद्युत उत्पादन इकाईयाँ स्थापित करने हेतु राज्य शासन को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । इन विद्युत उत्पादन इकाईयों द्वारा उत्पादित विद्युत को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को विक्रय करने हेतु विद्युत दरों के निर्धारण हेतु छत्तीसगढ़ बायोमास एनर्जी डेवलपर्स एसोसिएशन (CBEDA) द्वारा आयोग के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की गई, जिस पर निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुये आयोग द्वारा 11 नवंबर 2005 को आदेश पारित किया गया ।

विद्युत अधिनियम की धारा 86(e) के अनुसरण में उक्त आदेश में ऐसे प्रावधान किये गये हैं, जिनसे प्रदेश में बायोमास से विद्युत उत्पादन करने हेतु कंपनियाँ प्रोत्साहित हों । प्रोत्साहन हेतु आदेश में किये गये मुख्य प्रावधान निम्नानुसार है :

1. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने वार्षिक विद्युत खपत का 5 प्रतिशत या अधिकतम 100 मेगावॉट बॉयोमॉस से उत्पादित विद्युत क्रय किया जाना अनिवार्य हेागा ।

2. ऐसे उपभोक्ता जो मुक्त उपयोग हेतु अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली का उपयोग करेगें, उन्हे मात्र 50 प्रतिशत ही क्रास सब्सिीडी अधिभार का भुगतान करना होगा।

3. ऐसे उपभोक्ता जो मुक्त उपयोग हेतु अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली का उपयोग करेगें उन्हे पारेषण एवं चक्रण प्रभार रियायती दर पर, कुल प्रेषित विद्युत का केवल 6 प्रतिशत ही लगेगा ।

4. ऐसे बॉयोमॉस विद्युत संयंत्र को प्रारंभ करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी से लिये जाने वाले विद्युत की मांग प्रभार रियायती दर पर देय होगा ।

———**000**———

खण्ड–6

आयोग द्वारा वर्ष 2004 व 2005 में किये गए अन्य कार्य

6.1 आयोग की वेब–साईट :–

वर्ष 2004 में आयोग की वेब–साईट www.cserc.nic.in प्रारम्भ की गई जो बाद में बदल कर www.chhattisgarhserc.org कर दी गई है। वेब–साईट पर आयोग द्वारा बनाये गए प्रारूप विनियम और अंतिम विनियम, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की टैरिफ याचिका, जन–सुनवाई की सूचना, आयोग के समक्ष प्रस्तुत अन्य याचिकाएँ आवेदन पत्र टैरिफ आदेश व अन्य आदेश आदि समय समय पर नियमित रूप से प्रदर्शित किये जाते है ।

6.2 गैर शासकीय संस्थाओं हेतु कार्यशाला का आयोजन :–

आयोग द्वारा गैर–शासकीय संस्थाओं हेतु विद्युत सुधार में विद्युत नियामक आयोग की भूमिका तथा विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों पर एक दो दिवसीय आवासीय कार्यशाला का आयोजन, प्रयास पुणे (उर्जा समूह) के सहयोग से सफलतापूर्वक किया गया । जिसमें प्रयास पुणे (उर्जा समूह) के दो प्रतिनिधि तथा झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष व उड़ीसा राज्य विद्युत नियामक आयोग के सेवानिवृत्त अध्यक्ष द्वारा अपने विचार गैर–शासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों के समक्ष रखे गए।

6.3 गैर शासकीय संस्थाओं को मान्यता :–

वर्ष 2005 में आयोग द्वारा गैर–शासकीय संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम व शर्ते बनायी गई तथा निम्नलिखित संस्थाओं को आयोग द्वारा मान्यता प्रदान की जा चुकी है।

1. जय प्रकाश मेमोरियल सेन्टर, बस्तर डिवीजन, किरन्दुल ।
2. जन कल्याण सामाजिक संस्थान, राजनांदगांव ।
3. सहयोगी मित्र मण्डल, थानोद, दुर्ग ।
4. लोक शक्ति समिति, रायगढ़ ।

———000———

खण्ड–7

आयोग का लेखा विवरण

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 103 के अनुसार राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग निधि की स्थापना करने का प्रावधान है । इस निधि में राज्य शासन द्वारा आयोग हेतु आबंटित अनुदान राशि एवं ऋण, आयोग द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत प्राप्त समस्त शुल्क तथा राज्य शासन द्वारा विनिश्चित अन्य स्त्रोतों से आयोग द्वारा प्राप्त समस्त धनराशि को समाकलित (क्रेडिट) किये जाने का प्रावधान है ।

उपरोक्त निधि का उपयोग आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते व अन्य पारिश्रमिक के भुगतान हेतु किये जाने का उल्लेख उपरोक्त धारा की कंडिका (2) (a) में है । इन व्ययों के अतिरिक्त आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 86 के अनुसरण में किये जाने वाले कृत्यों के निर्वहन हेतु तथा अधिनियम द्वारा अधिकृत उद्देश्यों व लक्ष्यों पर व्ययों हेतु भी उपरोक्त निधि का उपयोग राज्य शासन द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की परामर्श से संसूचित रीति से किये जाने का प्रावधान धारा 103 (3) में किया गया है । तद्नुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (निधि) नियम 2004 का प्रारूप तैयार करके आयोग द्वारा दिनाँक 06.08.2004 को राज्य शासन को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की परामर्श के उपरांत जारी करने हेतु भिजवाये गए हैं । किन्तु ये नियम राज्य शासन द्वारा अब तक विचाराधीन है । चूंकि आयोग ने अपना कार्य दिनाँक 01.07.2004 से प्रारंभ कर दिया है तथा राज्य शासन के वित्तीय वर्ष 2004–05 के बजट में आयोग हेतु रू. 54.50 लाख की सहायक अनुदान राशि आबंटित की जाकर आयोग को दी गई थी तथा आयोग के कार्यशील होते ही आयोग के प्रारंभिक व्यय व सामान्य स्थापना व्ययों का भुगतान समय–समय पर किया जाना अपरिहार्य था अतः आयोग द्वारा अपना कार्य सुचारू रूप से चलाने की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त प्रारूप निधि नियम के अनुसार आयोग की निधि का संचालन व प्रबंधन आयोग द्वारा किया जा रहा है ।

आयोग द्वारा समुचित लेखे एवं अन्य सुसंगत अभिलेख धारा 104 (1) के अनुपालन में संधारित किये जा रहे हैं । इस धारा में यह भी प्रावधान है कि आयोग द्वारा अपना वार्षिक लेखा विवरण, राज्य शासन द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की परामर्श के उपरांत संसूचित प्रारूप के अनुरूप तैयार किया जाना है । तद्नुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक लेखा) नियम 2004 का प्रारूप तैयार करके आयोग द्वारा दिनाँक 28. 07.2004 को राज्य शासन को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की परामर्श के उपरांत जारी करने हेतु भिजवाए गए हैं । किन्तु ये नियम भी अब तक राज्य शासन द्वारा विचाराधीन है । चूंकि आयोग के कार्यशील होने के उपरांत लगभग 18 महीने की अवधि में आयोग द्वारा अपेक्षित गति से कदाचित अधिक गति से अपने कार्यो का संचालन किया जाता रहा है व वर्तमान में भी उसी तरह से किया जा रहा है तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग निधि का संचालन व प्रबंधन आयोग द्वारा पूर्व पद में दर्शाये अनुसार किया जाकर आयोग द्वारा विभिन्न मदों में धनराशि की प्राप्तियाँ एवं भुगतान समय समय पर किया जाना स्वाभाविक है । आयोग द्वारा समुचित लेखा पुस्तकों एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों का संधारण करना अपरिहार्य है अतः आयोग द्वारा उपरोक्त प्रारूप वार्षिक लेखा नियम के अनुसार अपने लेखाओं का संधारण करते हुए वित्तीय वर्ष 2004–05 का वार्षिक लेखा विवरण तैयार किया गया है ।

गत वित्तीय वर्ष 2004–05 का संक्षिप्त लेखा विवरण

आयोग ने अपना कार्य दिनाँक 01–07–2004 से प्रारंभ किया। वित्तीय वर्ष 2004–2005 (अर्थात् 01–07–2004 से 31–03–2005 तक, 9 माह की अवधि) का प्राप्ति व भुगतान लेखा, आय–व्यय लेखा तथा तुलन–पत्र, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (लेखा) नियम प्रारूप के अनुरूप तैयार करके आयोग द्वारा अनुमोदित व स्वीकृत करके महालेखाकार छत्तीसगढ़ के कार्यालय में संपरीक्षा हेतु भेजे गए थे। जिनकी संपरीक्षा, महालेखाकार छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक लेखा–संपरीक्षा दल द्वारा दिनांक 16–11–2005 से 18–11–2005 तक आयोग के कार्यालय में आकर की जा चुकी है तथा संपरीक्षा प्रतिवेदन अपेक्षित है । उक्त अवधि में आयोग की कुल प्राप्तियां रू. 1,29,54,978.50 हुई जिसमें से रू. 54,50,000.00 छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा आयोग को सहायक अनुदान द्वारा तथा शेष रू. 75,04,978.50

आयोग की स्वयं की प्राप्तियों की मदों में प्राप्त हुए। दिनांक 31–03–2005 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कुल व्यय रू. 66,51,884.00 हुआ । इसमें से व्यय के प्रमुख मद निम्नानुसार है :

1.	पूंजीगत व्यय	–	रू. 28,27,105.00
2.	स्थापना व्यय	–	रू. 23,51,146.00
3.	प्रशासनिक व कार्यालयीन व्यय	–	रू. 14,43,495.00

इस अवधि में पूंजीगत व्यय अधिक होने का कारण यह है कि आयोग की स्थापना के बाद कार्यालय के लिये आवश्यक वाहन, उपकरण फर्निचर एवं अन्य साज सरजाम क्रय की आवश्यकता पड़ी ।

दिनाँक 31 मार्च 2005 की स्थिति में अंतिम रोकड़ तथा बैंकस्थ रोकड़ रू. 63,03,094.50 शेष था । उपरोक्त 9 माह की अवधि का प्राप्ति व भुगतान लेखा इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है ।

चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 (दिनांक 31–12–05 तक का) संक्षिप्त लेखा विवरण

वर्ष 2005 की शेष अवधि अर्थात् 01–04–2005 से 31–12–2005 (9 माह) के प्रारंभ में आयोग की रोकड़ बही को उपरोक्त प्रारंभिक शेषों के साथ प्रारंभ किया गया । उसके उपरांत इस अवधि में आयोग की कुल प्राप्तियाँ रू. 1,29,55,425.00 हुई जिसमें से रू. 30,00,000.00 छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा आयोग को सहायक अनुदान के रूप में तथा शेष रू. 99,55,425.00 आयोग की स्वयं की प्राप्तियों की मद में प्राप्त हुए।

दिनांक 01 अप्रैल 2005 से 31 दिसम्बर 2005 तक की 9 माह की अवधि में कुल रू. 74,74,595.90 व्यय हुआ, जिसमें से रू. 5,46,929.00 पूंजीगत व्यय तथा शेष रू. 69,27,666.90 स्थापना, प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय थे । दिनाँक 31 दिसम्बर 2005 की स्थिति में अंतिम रोकड़ तथा बैकस्थ रोकड़ रू. 1,17,83,923.60 शेष था ।

———**000**———